



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219952
CG-DL-E-16062020-219952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684]
No. 1684]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जून, 2020

का.आ. 1887(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 29 मई, 2021 तक की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

व्यक्ति, जो समाचार पत्र के प्रबंधन के कारबार के स्वामी हैं या संचालित करते हैं [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

- श्री अशोक कुमार नवरत्न
प्रबंध संपादक, एनसीआर टुडे, डेली
5/9, अशोक नगर कालोनी,
गुलार रोड, अलीगढ़, उ.प्र.-302001
निवास : मित्रनगर, गुलार रोड,
अलीगढ़, उ.प्र.-202001.

मध्यम श्रेणी समाचार पत्र

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस (पार्ट-I)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2020

S.O. 1887(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), read with clause (b) of sub-section (3) of section 5 the Press Council Act, 1978, the Central Government hereby notifies the name of the following person nominated as member to the Press Council of India for a period up to 29th day of May, 2021 from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Persons who own or carry on the business of management of Newspapers [nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 5]

1. Shri Ashok Kumar Navaratan
Managing Editor, NCR Today, Daily
5/9, Ashok Nagar Colony,
Gular Road, Aligarh, U.P.-302001
Residence: Mitranagar, Gular Road,
Aligarh, U.P. - 202001.

Medium newspapers category

[F. No. M-22011/5/2017-Press (Part-I)]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.